



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

कमांक नं० TP/3/PMS/Review/2014-15/110

दिनांक 09-03-2015

नोटिस

सूचित द्वारा सभी प्रशिक्षणाधीन उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि एस. सी. वर्ग के सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशीप योजना के तहत 230/- रुपये प्रति माह की दर से स्कॉलरशीप व प्राइवेट संस्थानों में ट्यूशन फीस के लिए वास्तविक खर्च तथा अधिकतम 1000/- रुपये प्रति माह तक, जो भी कम हो, के खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह राशि जिले के नोडल संस्थान द्वारा योग्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रत्येक तिमाही के उपरान्त उसके बैंक खाते में अदा करनी होती है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को यह स्कॉलरशीप व ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति समय पर नहीं मिल रही हो तो वह इस विभाग को itisharyana@gmail.com पर अपनी शिकायत भेज सकता है। शिकायत के अन्दर प्रशिक्षणार्थी अपना नाम, व्यवसाय, संस्थान का नाम तथा अपना मोबाईल नं० अवश्य लिखे।

सहायक निदेशक (योजना)
कृते महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

कमांक नं० TP/3/PMS/Review/2014-15/111


दिनांक 09-03-2015

उपरोक्त की एक प्रति सभी राजकीय एवं प्राइवेट आई.टी.आई. संस्थानों के प्रधानाचार्यों को सूचनार्थ भेजी जाती है तथा निर्देश दिए जाते हैं कि सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 10.03.2015 तक बकाया स्कॉलरशीप की अदायगी व ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करना अथवा करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में भी विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार समय पर स्कॉलरशीप की अदायगी व ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करें। यदि किसी संस्थान के पास बजट की कमी हो तो निदेशालय पर मांग भेजें।

सहायक निदेशक (योजना)
कृते महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

CC:

उपरोक्त की एक प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण/नोडल अधिकारी
वैबसाईट को सूचनार्थ एवं वैबसाईट पर अपलॉड करने हेतु भेजी जाती है।


सहायक निदेशक (योजना)
कृते महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

RS